महिला हिंसा रोको अभियान

महिला हिंसा के खिलाफ

मितानिनों के द्वारा किये गये प्रयास

राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)

महिला हिंसा रोको अभियान

महिला हिंसा के खिलाफ मितानिनों के द्वारा किये गये प्रयास

हमारे देश में प्रत्येक 2 मिनट में एक महिला हिंसा की शिकार होती है।

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और अपराध ने एक भयानक रूप धारण कर लिया है। बालिका और महिलाएं हर कदम पर हिंसा के साये में जीने को मजबूर है। महिलाएं इस दुनिया में कही भी सुरक्षित नहीं है चाहे वे खेत–खदान हो, उद्योग, कार्यालय हो पुलिस थाना हो, शाला हो, सुरक्षा क्षेत्र हो या अस्पताल यहाँ तक की महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं है । महिलाओं के साथ भेदभाव, मारपीट, छेड़छाड़ बलात्कार, हत्या जैसे मौखिक, शारीरिक एवं डिजिटल हिंसा के माध्यमों ने महिलाओं से समानता और सम्मान का अधिकार छीन लिया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार एक विशेष अधिकार है। समानता का अधिकार हमें यह समझाता है कि किसी भी व्यक्ति (महिला/पुरूष) के साथ उसके जन्म, स्थान, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदवाव नहीं किया जा सकता। समानता के अधिकार में लिंग आधारित भेदभाव महिला हिंसा का एक महत्वपूर्ण कारक है। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के परिणाम स्वरूप महिलाओं के साथ हिंसा होती है। महिला आन्दोलन के लम्बे संघर्ष के बाद आज भी महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाना एक कठिन कार्य है क्योंकि समानता का अधिकार दिलाने के लिए उन्हें परिवार, समुदाय समाज से किसी भी तरह से सहयोग प्राप्त नहीं होता है।

महिला हिंसा–महिला स्वास्थय और मितानिन कार्यक्रम –

मितानिन कार्यक्रम में प्रारंभ अर्थात 2001 से स्वास्थ्य को जेंडर के एक मुख्य मुद्दे के रूप में शामिल किया गया है। इसके आलावा छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने Management Information System (MIS) में आवश्यक स्वास्थ्य सूचकांकों में महिला हिंसा को भी एक आवश्यक सूचकांक के रूप में शामिल किया है। मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत महिला स्वास्थ्य की सामाजिक असमानता को महिला हिंसा के रूप में आमजन को

मितानिनों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि हमारे देश, हमारे राज्य में महिलाओं की संख्या में कमी, महिलाओं

महिलाओं में कुपोषण, महिलाओं का अधिक बीमार पड़ना, अधिक मातृ मृत्यु दर, महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा पाने का अधिकार नहीं है।

महिला हिंसा रोको अभियान – महिलाओं के स्वास्थ्य की खराब स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है महिला हिंसा। महिलाओं के साथ शारीरिक व मानसिक हिंसा सीधे रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालती है।

राज्य में महिला व बालिका हिंसा के बढ़ते आंकड़े और मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत मितानिनों को समय–समय पर महिला हिंसा और इसे रोकने उपलब्ध कानून व नए कानूनों के बारे में जानकारी के फलस्वरूप गाँव व शहर में महिलाएं महिला हिंसा के विरोध में आगे आ रही थी। महिलाओं के इस आन्दोलन को दिशा देने नियोजित व सशक्त तरीके से महिला हिंसा रोको अभियान हर वर्ष मितानिनों के द्वारा बराबरी का समाज बनाने के लिए एक भूमिका निभाई जाती है।

अभियान की प्रमुख गतिविधियाँ –

प्रशिक्षण – प्रशिक्षण में हम समुदाय के लिए, समुदाय के साथ और समुदाय के द्वारा किसी भी प्रकार की महिला हिंसा का विरोध कर सकते है पर चर्चा व रणनीति बनायी जाती है। मितानिन कार्यक्रम में जिले से गाँव व शहर की मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, क्षेत्रीय समन्वयक ब्लाक समन्वयक, स्वस्थ पंचायत समन्वयक एवं जिला समन्वयकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री के रूप में अभियान संबंधी पर्चा एवं पूर्व निर्मित मितानिन प्रशिक्षण पुस्तिका जिसमें जेंडर, महिला हिंसा को राकने बनाये गये कानूनों को विस्तार से समझाया गया है।

जागरूकता सामग्री – विभाग द्वारा महिला हिंसा रोको अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता सामग्री का निर्माण किया गया था। इस सामग्री में मितानिन और समुदाय हिंसा की शिकार महिला के लिए क्या कर सकती है, बालिकाओं को समाज में बराबर का अधिकार दिलाने प्रारंभ से शिक्षा देना एवं महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी दी गयी है।

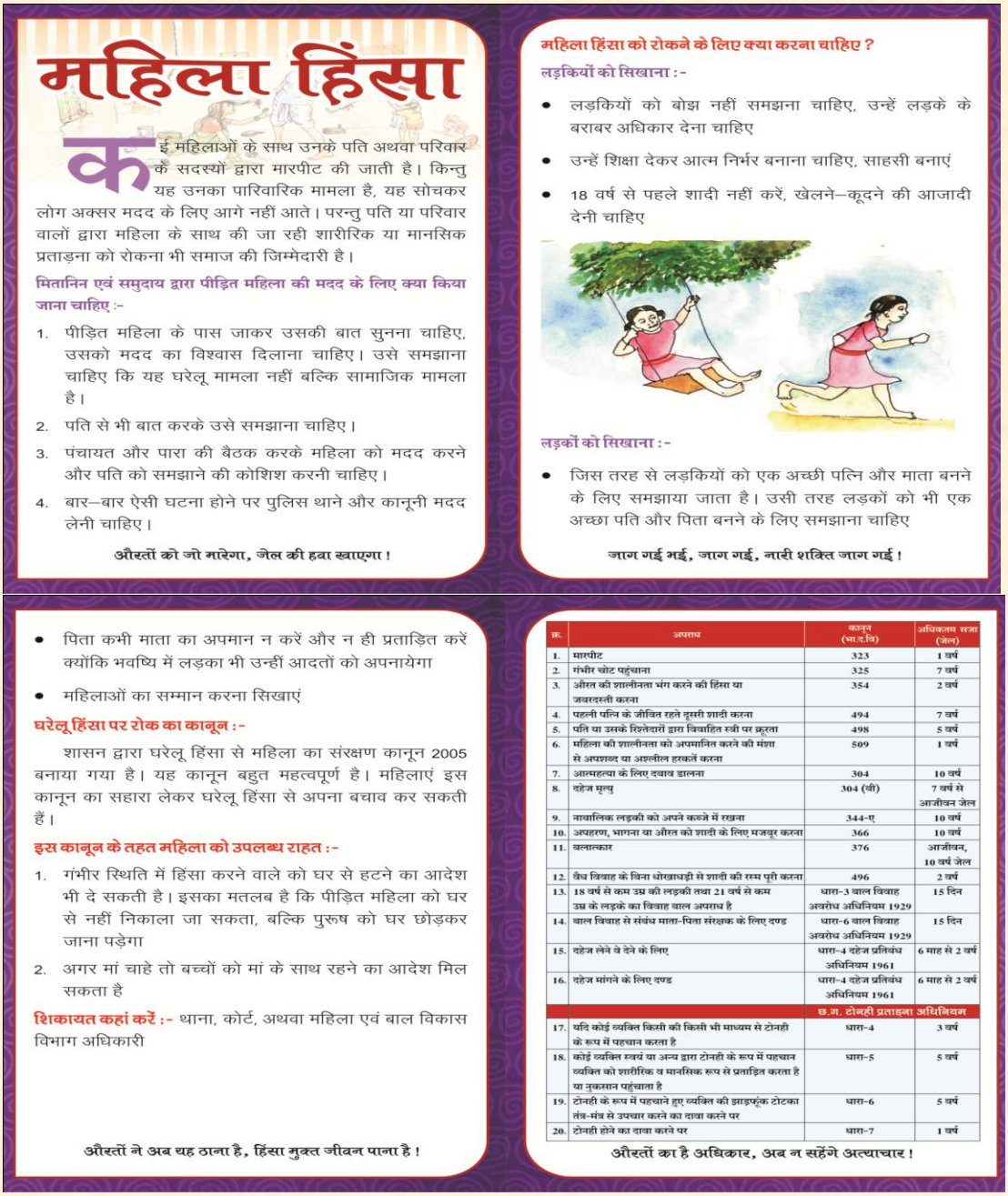

महिला हिंसा

कई महिलाओं के साथ उनके पति अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट की जाती है। किन्तु यह उनका पारिवारिक मामला है, यह सोचकर लोग अक्सर मदद के लिए आगे नहीं आते। परन्तु पति या परिवार वालों द्वारा महिला के साथ की जा रही शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना को रोकना भी समाज की जिम्मेदारी है।

मितानिन एवं समुदाय द्वारा पीड़ित महिला की मदद के लिए क्या किया जाना चाहिए :-

1. पीड़ित महिला के पास जाकर उसकी बात सुनना चाहिए, उसको मदद का विश्वास दिलाना चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि यह घरेलू मामला नहीं बल्कि सामाजिक मामला है।
2. पति से भी बात करके उसे समझाना चाहिए।
3. पंचायत और पारा की बैठक करके महिला को मदद करने और पति को समझाने की कोशिश करनी चाहिए।
4. बार–बार ऐसी घटना होने पर पुलिस थाने और कानूनी मदद लेनी चाहिए।

औरतों को जो मारेगा, जेल की हवा खाएगा !

महिला हिंसा को रोकने के लिए क्या करना चाहिए ?

लड़कियों को सिखाना :-

- लड़कियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, उन्हें लड़के के बराबर अधिकार देना चाहिए
- उन्हें शिक्षा देकर आत्म निर्भर बनाना चाहिए, साहसी बनाएं
- 18 वर्ष से पहले शादी नहीं करें, खेलने–कूदने की आजादी देनी चाहिए

लड़कों को सिखाना :-

- जिस तरह से लड़कियों को एक अच्छी पत्नि और माता बनने के लिए समझाया जाता है। उसी तरह लड़कों को भी एक अच्छा पति और पिता बनने के लिए समझाना चाहिए

जाग गई भई, जाग गई, नारी शक्ति जाग गई !

- पिता कभी माता का अपमान न करें और न ही प्रताड़ित करें क्योंकि भवष्यि में लड़का भी उन्हीं आदतों को अपनायेगा
- महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं

घरेलू हिंसा पर रोक का कानून :-

शासन द्वारा घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण कानून 2005 बनाया गया है। यह कानून बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं इस कानून का सहारा लेकर घरेलू हिंसा से अपना बचाव कर सकती हैं।

इस कानून के तहत महिला को उपलब्ध राहत :-

1. गंभीर स्थिति में हिंसा करने वाले को घर से हटने का आदेश भी दे सकती है। इसका मतलब है कि पीड़ित महिला को घर से नहीं निकाला जा सकता, बल्कि पुरूष को घर छोड़कर जाना पड़ेगा
2. अगर मां चाहे तो बच्चों को मां के साथ रहने का आदेश मिल सकता है

शिकायत कहां करें :- थाना, कोर्ट, अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी

औरतों ने अब यह ठाना है, हिंसा मुक्त जीवन पाना है !

क्र.	अपराध	कानून (भा.द.वि)	अधिकतम सजा (जेल)
1.	मारपीट	323	1 वर्ष
2.	गंभीर चोट पहुंचाना	325	7 वर्ष
3.	औरत की शालीनता भंग करने की हिंसा या जबरदस्ती करना	354	2 वर्ष
4.	पहली पत्नि के जीवित रहते दूसरी शादी करना	494	7 वर्ष
5.	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा विवाहित स्त्री पर क्रूरता	498	5 वर्ष
6.	महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपशब्द या अश्लील हरकतें करना	509	1 वर्ष
7.	आत्महत्या के लिए दबाव डालना	304	10 वर्ष
8.	दहेज मृत्यु	304 (बी)	7 वर्ष से आजीवन जेल
9.	नाबालिक लड़की को अपने कब्जे में रखना	344-ए	10 वर्ष
10.	अपहरण, भागना या औरत को शादी के लिए मजबूर करना	366	10 वर्ष
11.	बलात्कार	376	आजीवन, 10 वर्ष जेल
12.	वैध विवाह के बिना धोखाधड़ी से शादी की रस्म पूरी करना	496	2 वर्ष
13.	18 वर्ष से कम उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल अपराध है	धारा-3 बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929	15 दिन
14.	बाल विवाह से संबंध माता-पिता संरक्षक के लिए दण्ड	धारा-6 बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929	15 दिन
15.	दहेज लेने वे देने के लिए	धारा-4 दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961	6 माह से 2 वर्ष
16.	दहेज मांगने के लिए दण्ड	धारा-4 दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961	6 माह से 2 वर्ष
		छ.ग. टोनही प्रताड़ना अधिनियम	
17.	यदि कोई व्यक्ति किसी की किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में पहचान करता है	धारा-4	3 वर्ष
18.	कोई व्यक्ति स्वयं या अन्य द्वारा टोनही के रूप में पहचान व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या नुकसान पहुंचाता है	धारा-5	5 वर्ष
19.	टोनही के रूप में पहचाने हुए व्यक्ति की झाड़फूंक टोटका तंत्र-मंत्र से उपचार करने का दावा करने पर	धारा-6	5 वर्ष
20.	टोनही होने का दावा करने पर	धारा-7	1 वर्ष

औरतों का है अधिकार, अब न सहेंगे अत्याचार !

महिला हिंसा के आकड़ों का संकलन – मितानिनों द्वारा अपने क्षेत्र में महिला हिंसा के प्रकरणों मदद करने संबंधी जानकारी को एम.आई.एस. के माध्यम से संकलित ग्रामीण क्षेत्र की मार्च से दिसबंद 2020 तक की जानकारी निम्न है –

क्र.	जिला	ग्रामीण क्षेत्र में हिंसा से पीड़ित महिलाओ की संख्या जिनको मितानिन द्वारा मदद किया गया मार्च से दिसंबर 2020
1.	बलोद	238
2.	बलौदाबाजार	490
3.	बलरामपुर	839
4.	बस्तर	334
5.	बेमेतरा	66
6.	बीजापुर	353
7.	बिलासपुर	492
8.	दंतेवाड़ा	190
9.	धमतरी	88
10.	दुर्ग	61
11.	गरियाबद	228
12.	जंजगीर	171
13.	जशपुर	288
14.	कांकेर	159
15.	कवर्धा	127
16.	कोंडागांव	120
17.	कोरबा	140
18.	कोरिया	128
19.	महासमुंद	494
20.	मुंगेली	281
21.	नारायणपुर	53

22.	रायगढ़	471
23.	रायपुर	390
24.	राजनांदगांव	198
25.	सुकमा	307
26.	सूरजपुर	257
27.	सरगुजा	418
कुल		**7581**

शहरी क्षेत्र में संकलित आकड़े –

शहरी क्षेत्र में हिंसा से पीड़ित महिलाओं की संख्या जिनकी मदद मितानिनों द्वारा की गयी मार्च से दिसंबर 2020 तक

क्र.	शहर	मार्च से दिसंबर 2020
1.	अंबिकापुर	43
2.	कवर्धा	5
3.	कांकेर	8
4.	कोरबा	57
5.	चरोदा	31
6.	चिरमिरी	46
7.	जगदलपुर	49
8.	दुर्ग	65
9.	धमतरी	40
10.	बिलासपुर	71
11.	थ्बरगांव	26
12.	भाटापारा	8
13.	भिलाई	52
14.	महासमुंद	9
15.	मुंगेली	7
16.	राजनांदगांव	45
17.	रायगढ़	52
18.	जंजगीर	3
19.	रायपुर	273
कुल		990

महिला हिंसा के खिलाफ रैली निकालकर किया जागरूक

कांकेर। ब्यूरो

शहर के मितानिनों ने किया कार्यक्रम का आयोजन

दीवाल लेखन – महिलाओं के साथ हिंसा गलत है और महिलाएँ जागरूक हो गयी है अपने सामाजिक और कानूनी अधिकार को लेकर। महिलाओं की जागरूकता और उनके अधिकारों को लेकर मितानिनों, स्वस्थ पंचायत समन्वयकों के द्वारा गाँव–गाँव में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के लिए बनाए गए कानूनों एवं महिला हिंसा के विभिन्न रूपों का चित्रात्मक दीवाल लेखन कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया।

रैली – ''महिला को जो मरेगा–जेल की हवा खाएगा'', ''शराब पीना छोड़ दो शराब की बोतल फोड़ दो'' आदि नारों के साथ ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों, मितानिनों एवं गाँव की महिलाओं एवं शाला के बच्चों ने गाँव में रैली निकाल कर सभी को यह चेता दिया की महिलाएं अब जाग गयी है अब वे हिंसा नहीं सहेंगी।

जांजगीर/सकरेली | ग्राम स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति की बैठक शासकीय प्राथमिक शाला सकरेली में आयोजित की गई। बैठक में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, प्रताड़ना, मारपीट,घर की बहु बेटियों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए विचार हुआ। महिलाओं ने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा व प्रताड़ना से लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली।ग्रामीणों से स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया गया। रैली में सरपंच रहस बाई गोड़, ब्लॉक समन्वयक आशा बरेठ, मास्टर ट्रेनर कुंती तम्बोली, अभिषेक सोनी, धनकुमारी तम्बोली एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल थे।

दोरनापाल| महिलाओं पर हो रही हिंसा के विरोध में ग्रामपंचायत में मितानीन कार्यक्रम द्वारा रैली निकली गई। रैली में आस-पास गांव की मितानीन और सरपंच भी शामिल हुए और पीड़ित महिलाओं को जानकारी दी गई यह घरेलू मामला नहीं है। कार्यक्रम में प्रेरक एसपीएस और मितानीन मौजूद थे।

नुक्कड़ नाटक – महिला स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक असमानता को दूर करने शहर व गांव में नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। मितानिन, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों के द्वारा गाँव के मुख्य स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को नुक्कड़ नाटक कर दिखाया जिसमें महिलाओं के साथ हिंसा एक अपराध है और इसके लिया बहुत सख्त कानून है समझाया गया।

उपसंहार – महिला हिंसा मुक्त समाज बनाने के लिए और समाज में महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का स्थान दिलाने के लिए महिला आन्दोलन के चलते महिलाओं को शिक्षा, रोजगार व महिलाओं के हित व अधिकार में कुछ कानून बनाए गए हैं। परन्तु आज भी महिला हिंसा के आंकड़ों में कमी नहीं आई है।

मितानिन कार्यक्रम के द्वारा किये गए महिला हिंसा रोको अभियान एक प्रभावी सामुदायिक कार्यक्रम के रूप में समस्त 27 जिलों में हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत समुदाय विशेष रूप से महिलाओं ने हिंसा के विरोध में अपनी चुप्पी को तोड़ समानता व सम्मान के लिए घर से बाहर अपने पारा, मोहल्ले और गाँव में आवाज

उठायी है। महिलाओं के हक व अधिकार के लिए निकाली गयी रैली व कार्यक्रमों में पंचायत के पंच, सरपंच प्रशासनिक कर्मचारियों में शिक्षक, डॉक्टर, महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी एवं मितानिन कार्यक्रम के कर्मचारियों ने भी सहभागिता निभायी। इस अभियान के फलस्वरूप जिन घरों में महिला के साथ हिंसा होती थी उन घरों के बाहर दीवार पर लोगों ने "जो महिला को मारेगा जेल की हवा खाएगा" नारा लेखन कर दिया। इसके साथ ही साथ राज्य स्तर पर महिला हिंसा के मुद्दे पर महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया है। इस अभियान में बच्चे भी बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। महिला हिंसा रोको अभियान का प्रभाव आज गाँव–गाँव में देखने को मिल रहा है। मितानिन कार्यक्रम द्वारा महिला हिंसा के विरोध में किये गए प्रयास से आज महिला हिंसा पर चर्चा की जाती है, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी जा रही है एवं पारिवारिक एवं सामुदायिक चर्चा कर हम महिला हिंसा के कुछ प्रकरणों में न्याय दिलाने में सफल हुए हैं जो महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने की ओर हमारे बढ़ते कदम हैं।

अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है

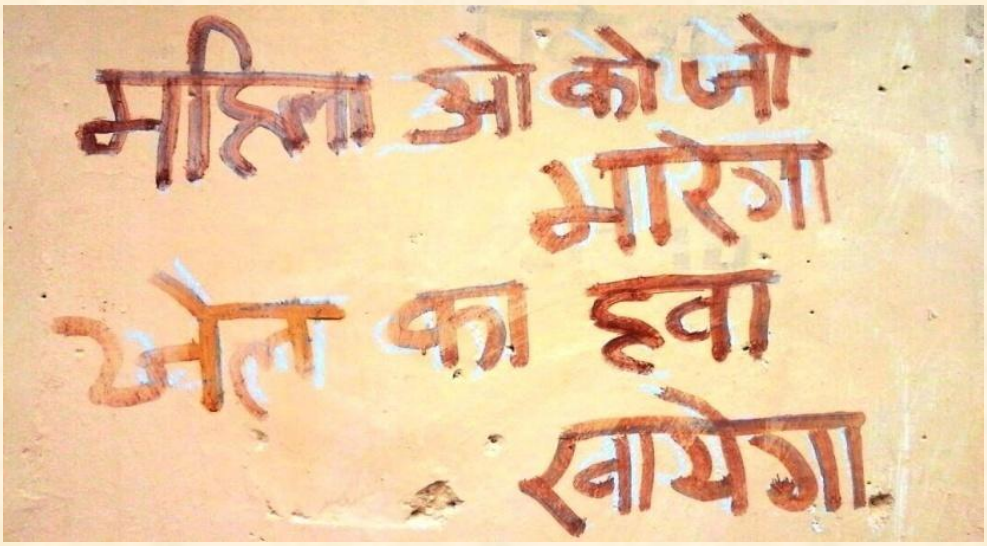

महिला हिंसा को रोकने मितानिनो, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति के दवारा किये गए प्रयास सम्बन्धी सफलता की कहानी –

महिला हिंसा किसी के घर का मामला नहीं यह पुरे समाज का मामला है

(गांव व पंचायत–रेंगोला, पारा–बांसलंघना, विकासखण्ड–जशपुर लोदाम जिला–जशपुर)

मितानिन नीलम के पारे एक पति पत्नी रहते हैं। पति हर दिन शराब पी कर पत्नी के साथ गाली–गलोच, मारपीट व शक भी करता था। आदत के अनुसार पति एक दिन शराब पीकर पत्नी को गालियां देने लगा तो पत्नी ने उसे बोला कि मुझे गाली मत दिया करो। पत्नी का जवाब सुनकर पति ने पत्नी को पकड़ कर लाठी से मार–मार कर लहुलुहान कर बेहोश कर दिया। पारे वाले देख रहे थे किन्तु किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। झगड़ा की आवाज सुनाई देने पर मितानिन नीलम भागते हुए उनके घर गयी तो देखा की पति आंगन में गड्ढ़ा खोदकर पत्नी को दफना रहा था। मितानिन ने आदमी को डाटा तो आदमी ने मितानिन को घर का मामला है तुम कौन होती हो बीच में पड़ने वाली कहकर गाली–गलोच करते हुए आंगन से बाहर चला गया। मितानिन ने जल्दी से मिट्टी हटायी और महिला को बाहर निकाल कर पानी पिलाया। महिला की स्थिति को देखते हुए मितानिन ने उसे मायके भेज दिया। एक सप्ताह के बाद ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में एम.टी. अमरलता को मितानिन ने पूरी घटना बताई बैठक में सरपंच की उपस्थिति में उस पुरुष को बुलाकर समझाया गया की अगर तुमने आज के बाद कभी भी अपनी पत्नी को मारा तो सीधा जेल भेज देंगे। पुरुष ने समीति के सदस्यों, मितानिन, एम.टी., सरपंच से माफी मांगी तथा अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करने का वचन दिया। दूसरे दिन वह पुरुष अपनी पत्नी को मायके से लेकर आ गया। अभी दोनों पति–पत्नी अच्छे से रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। **मितानिन–नीलम, एम.टी.–अमरलता**

गर्भवती पत्नी को पीटने वाले पति को समिति ने सुधारा

(ग्राम–माडाकोट, पंचायत–कुम्हारी, विकासखंड–मरवाही, जिला–पेंड्रा)

17 जुलाई 2020 को गाँव में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक गाँव में चल रही थी और उन्हीं के सामने गाँव का एक व्यक्ति अपनी 6 माह की गर्भवती पत्नी को गला दबाकर, पटक–पटक कर मरा रहा था। समिति के सदस्य भागते हुए उनके घर गए और पत्नी को उठाकर वहा से बाहर लेकर आए। समिति के सदस्यों ने पति को समझाया कि महिलाओं के साथ मारपीट नहीं करना चाहिये और तुम्हारी पत्नी का 3 बार गर्भपात हो चुकी है और अभी चौथी बार गर्भवती हुयी है, उसकी देखरेख करना चाहिए। समिति की बात सुनकर पति ने बोला कि मेरी पत्नी है मैं जो चाहे वो करूं तुमको क्या करना है। समिति के सदस्यों ने बोला की हम लोग अभी 112 में फोन करते है तुमको सीधे थाने लेकर जाएंगे और फिर जेल भेज देंगे। समिति के सदस्य बहुत गुस्से में थे उन्हें देखकर और जेल की बात सुनकर पति के चेहरे का रंग ही उड़ गया। पति ने समिति के सदस्यों से माफी मांगी की वह अब से अपनी पत्नी को नहीं मारेगा। समिति के सदस्यों ने उसे बोला की हम एक आखरी मौका दे रहे हैं उसके बाद तुमने अपनी पत्नी को परेशान किया तो तुमको बिना बताए पुलिस को बुला देंगे। उस दिन के बाद मितानिन बीच–बीच में महिला से मिलने जाती रहती है जिससे सब कुछ ठीक होने की जानकरी मिलती रहती है।

टोमवती–मितानिन प्रशिक्षक, शशि कैवर्त–एस पी एस

सास बहु में अनबन को समिति ने सुलझाया

(ग्राम पंचायत–गोडम, विकासखंड–सारंगढ़, जिला–रायगढ़)

गाँव में एक परिवार है जिसमे कुल 4 सदस्य रहते हैं, माँ, बेटा, बहु और ननंद। इस परिवार की सास और बहु में आए दिन कहा सुनी होती रहती है। बहु, सास को किसी न किसी बात पर गाली देना चिल्लाना चालु करती है तो 2–3 घंटे तक चिल्लाती रहती है, सास नाराज होकर कुछ दिनों तक खाना–पीना बंद कर देती है और बेटा भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता है। एक दिन गाँव में इसी परिवार के घर के पास ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक चल रही थी और उसी समय सास और बहु के बीच कुछ कहा सुनी हो गयी तो बहु ने सास पर चिल्लाना और गली देना चालू किया। समिति में इस बात

पर चर्चा भी की गयी की बहु आए दिन अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार करती रहती है। बैठक 3 घंटे तक चलती रही और 3 घंटे तक बहु के मुहं से अपनी सास के लिए गाली खत्म नहीं हुयी। बैठक समाप्त होने के बाद मितानिन प्रशिक्षक, समिति के सदस्यों को लेकर उस परिवार के घर गयी और सास और बहु को आमने सामने बैठाकर समस्या क्या है पूछे। बहु ने बताया की सास ने उसका मोबाईल बिगड़ दिया है परन्तु सास ने बोला मैंने नहीं बिगाड़ा। एम.टी. ने बहु को समझाया की इस तरह गाली गलौच करने से तुम्हारे परिवार की इज्जत खराब हो रही है, अगर कोई समस्या होती है तो शांति से बात कर उसको परिवार के अंदर निपटाना चाहिए पूरे मोहल्ले को अपने घर की बात सुनाने की जरुरत नहीं।एम.टी. ने आखरी में यह भी कहा की अगर आप लोग इसी तरह झगड़ते रहे तो आप लोगों के झगड़े को निपटाने के लिए 112 में फोन कर पुलिस को बुलाना पड़ेगा जो आप लोगों को सीधा थाने लेकर जाएगी। सास और बहु उस दिन मितानिन प्रशिक्षक के बात अच्छे से समझ गए और उस दिन के बाद से अच्छे से रहते हैं। **पुष्प–मितानिन प्रशिक्षक**

मितानिन ने समझाया पति पत्नी के आपस के झगडे से बच्चो पर बुरा असर पड़ता है

(ग्राम–रावन, विकासखंड–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार)

गाँव के इंदिरा आवास मोहल्ले में एक परिवार रहता है जिसमे पति शराब पीकर अपनी पत्नी और बच्चो को मारता और गाली देता था। यह पति की आदत बन गयी थी। पत्नी, पति की रोज रोज की इस आदत से तंग आकर अपनी माँ के घर में रहती थी। मई माह में एक दिन पति बाहर से शराब पीकर अपने सर में चोट लगाकर आया और घर आकर अपनी पत्नी पर आरोप लगाने लगा की उसने उसे लाठी से पिता है और उसे और बच्चों को मारने पीटने लगा। पत्नी ने उस दिन तय कर लिया की वह अब और नहीं सहेगी और उसने अपनी माँ को मितानिन को बुलाकर लाने के लिए बोला। रात के 9 बज रहे थे मितानिन उनके घर गयी और पुरुष को समझाया की तुम्हारे रोज के शराब और मारपीट से बच्चो के दिमाग में बुरा असर पड़ रहा है, रोज 200 रूपए की दारू पीते हो अगर इसी पैसे से घर में सब्जी फल लाओगे तो पूरा परिवार को अच्छा भोजन मिलेगा, शराब पीने से तो केवल बीमारी

ही मिलेगी। इसके साथ ही मितानिन ने उसे यह भी बोला कि कोरोना के कारण वैसे भी अभी काम नहीं चला रहा है तो पैसे बचाना चाहिए और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहिए। मितानिन अंत में यह बोला की हम तो समझकर चले जाएंगे और अगर फिर तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा करोगे तो ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में सबके सामने आपको बुलाकर आपकी समस्या का समाधान करेंगे और फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर 112 में फोन कर पुलिस को बुलाएंगे वही आपको अपनी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए सिखाएंगे। मितानिन की बात सुनकर पति को समझ में आ गया की वह जो कर रहा है वह गलत है और अब उसकी पत्नी उसे माफ नहीं करेगी तो उसने तुरंत मितानिन और पत्नी से माफी मांगी की अब से ऐसा नहीं करेगा। अब इस परिवार में सब कुछ ठीक है मितानिन बीच–बीच में उनके घर जाकर हाल–चाल पूछती रहती है।

कीर्ति लहरी–मितानिन

मोहल्ले में आवारागर्दी करने वाले लडको ने समिति ने ठीक किया (शहरी)

(वार्ड–19, शास्त्री नगर, शंकर नगर पारा, कैम्प–1, भिलाई)

शंकर नगर पारा में बहुत समय से कुछ लड़के शराब, गंजा, जुआ खेलते थे और गाली गलौच कर सभी मोहल्लेवासी को परेशान करते थे। पारे की मितानिन और महिला आरोग्य समिति के सदस्यों के द्वारा पार्षद, महापौर और पुलिस में भी इसकी शिकायत की परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मोहल्ले का महाल खराब होते देख मितानिन, महिला आरोग्य समिति और मोहल्लेवासियों ने मिलकर उन लड़कों से निपटना तय किया और एक दिन सबने मिलकर उन सभी लड़कों को पहले तो समझाया परन्तु जब वे नहीं माने और हाथ पाई करने लगे तो उनकी जमकर पिटाई की। उस दिन के बाद से मोहल्ले में शराब, जुआ, गंजा और गाली गलौच सब बंद हो गया है। **रंजीता वर्मा–मितानिन**

समिति और मितानिन के सहयोग से महिला को अपने दहेज की राशि वापस मिली

(वार्ड–13, प्रगति चौक, बिरगांव)

पारा की एक महिला को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए बहुत समय से मारपीट रहे थे। महिला के मायके वालों को बहुत समय से उनकी बेटी अपने ससुराल वालों की शिकायत करती थी की वे उसे मारते हैं, दहेज लाने को बोलते हैं और अपने बेटे की दूसरी शादी करने की धमकी भी देते हैं। महिला के घर वालों ने बेटी को ससुराल में निभाने की सलाह दी परन्तु जब बेटी से रोज की मारपीट सहन नहीं हुयी तो उसने अपने मायके वालों से उसे ससुराल से ले जाने के लिए कहा। महिला के माता–पिता को भी बेटी मी बहुत चिंता होने लगी थी। महिला के मायके वालों ने एक दिन अपने गांव की मितानिन और महिला आरोग्य समिति के सदस्यों को अपने साथ अपनी बेटी को लाने के लिए टिकरापारा पुलिस थाने में रिपोर्ट किये और पुलिस को अपने साथ बेटी के ससुराल लेकर गए। महिला के ससुराल वाले पुलिस को देखकर डर गए और अपनी बहु और अपनी 7 साल की पोती को महिला के मायके वालों को सौंप दिया। समिति के सदस्यों ने महिला को शादी के समय जो दहेज दिया था उसे भी लौटने के लिए कहा तो सुसराल वालों ने उन्हें 30 हजार रुपए दे दिए। महिला अब अपने मायके में अपनी बेटी के साथ खुश है और काम कर अपना और अपनी बेटी का पालन–पोषण कर रही है। **लक्ष्मी वर्मा–मितानिन**